



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनांक 30.04.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 265/26 धारा 191(2)/191(3) /131 /103(1)/118(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28-04-2026 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी अमित पुत्र लालचन्द निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.



अनुज, 2. राधे, 3. राजेश पुत्रगण जगबीर, 4. जगबीर पुत्र भौरे, 5. 01 महिला निवासीगण ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत द्वारा वादी के भाई को जबरन उठाकर अपने पास मौजूद लोहे के धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया । वादी द्वारा अपने भाई को बचाने हेतु मौके पर पहुंचने पर अभियुक्तों द्वारा वादी के साथ भी मारपीट की गई तथा उसके सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया । साथ ही वादी के अन्य परिजनों के साथ भी मारपीट कर उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई गईं । घटना में वादी का भाई मोनू गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया । इस सम्बन्ध

में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 265/26 धारा 191(2)/191(3)/131/103(1)118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 265/26 धारा 191(2)/191(3)/131/103(1)118(1) बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उक्त अभियोग में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 29.04.2026 को अभियुक्तों 1-अनुज, 2-राजेश पुत्रगण जगबीर, 3-जगबीर पुत्र भौरै, 4- 01 महिला निवासीगण ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राधेश्याम पुत्र जगबीर निवासी ग्राम सरूरपुर कलां थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अकित चौहान थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री तहसीन खाँ थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-है0का0 818 इलियास अहमद थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली दिनांक 30.04.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 76/26 धारा 140(4)/351(2) बीएनएस व 3(2)(V) एससी एसटी एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 76/26 धारा 140(4)/351(2) बीएनएस व 3(2)(V) एससी एसटी एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

निर्देश पुत्र बेगराज निवासी ग्राम बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली ।
- 2- का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली ।
- 3- रि0का0 491 दीपक कुमार थाना बिनौली ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 30.04.2026

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है ।

उक्त के सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0स0 131/26 धारा 4/25 आयुध अधि0 पंजीकृत किया गया । आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इरशाद पुत्र आबिद निवासी कर-बा रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह थाना खेकडा ।
- 2-है0का0 886 अमित कुमार थाना खेकडा ।
- 3-है0का0 897 जयवीर सिंह थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक-30.04.2026

थाना दोघट पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 550/- रुपये नगद बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं जुआ/सट्टा खेलने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 550/- रुपये नगद बरामद हुए हैं।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-संजय उर्फ सन्जू पुत्र स्व० सतपाल सिंह निवासी आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-विजय पुत्र विनोद निवासी आजमपुर मुलसम थाना दोघट जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 52 ताश के पत्ते व 550/- रुपये नगद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० श्री विपिन कुमार थाना दोघट ।

2-का० 1060 गौरव कुमार थाना दोघट ।

3-रि०का० 272 विनय थाना दोघट ।

4 रि०का० 274 सजिन थाना दोघट ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली दिनांक 30.04.2026

थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-फुरकान पुत्र शब्बीर कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-रोहताश पुत्र राजपाल निवासी कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-म0उ0नि0 रविन्द्री थाना छपरौली ।
- 2-का0 597 प्रेमपाल थाना छपरौली ।
- 3-रि0का0 663 अमन थाना छपरौली ।